न्याया० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
वमुकःसरकार बनाम छोटू पुत्र इस्ताक खॉ
इस्तगासा अंतर्गत धारा 3, राज०गुण्डा नियत्रंण अधि01975
प्रकरण संख्या 03/2022

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 03/2022 **(जीसीएमएस नम्बर–2022/80)**

उनवानी प्रकरण :–

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ------------------ सायल।

बनाम्

श्री छोटू पुत्र श्री इस्ताक खॉ जाति मुसलमान निवासी सागरपाडा थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर ---------------------- गैरसायल।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1– सायल की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

2– गैरसायल की ओर से :– श्री फारूख खॉ अभिभाषक धौलपुर।

निर्णय दिनांक 09.03.2026

निर्णय

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्व गैरसायल श्री छोटू पुत्र श्री इस्ताक खॉ जाति मुसलमान निवासी सागरपाडा थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गैरसायल आदतन सट्टा/जुआ खेलने का आदी है तथा रूपयो पैसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करता कई बार पकड़ा है। उक्त अपराध एक सेवा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग का को खोखला कर दिया है। गैरसायल को बार–बार जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान पेश न्यायालय में करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगा रहा है बल्कि बिना कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहॉ वह स्वयं को इलाका का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वही अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है जिसके कारण आम नागरिक उसके विरूद्ध ना तो साक्ष्य देना चाहता है, ना ही उसके भय के कारण स्वतन्त्र रूप से शिकायत

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

उच्चाधिकारियों को अथवा पुलिस को दे पा रहा है। ऐसे अपराधी का खुले रूप में घूमना आम जनता के जान–माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कानून राज के लिए कतई हित में नही है। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली पर दर्ज अपराधों का विवरण इस प्रकार हैः– मु0न0 111/2022 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 24.02.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 62 दिनांक 28.02.2022 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा जुर्माना 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 11/2021 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 8.01.2021 जिसमें चार्जशीट नम्बर 18 दिनांक 29.1.2021 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा जुर्माना 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 20/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 6.1.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 17 दिनांक 20.4.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा जुर्माना 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 97/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 14.02.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 29 दिनांक 20.4.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा जुर्माना 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 266/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 19.06.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 100 दिनांक 26.06.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा जुर्माना 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। गैरसायल छोटू पुत्र इस्ताक खॉ के विरूद्व दर्ज प्रकरणों व गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में पडा हुआ है। उक्त प्रकरणों में उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर उक्त गैरसायल गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(5)(8) की तारीफ में आता है, जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त आधारों पर गैरसायल छोटू पुत्र इस्ताक खॉ के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के तहत् मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

गैरसायल की ओर से श्री फारूख खान अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया। गैरसालय/उनके अभिभाषक द्वारा बार–बार जबाव पेश करने हेतु समय चाहा गया। कई बार मौका दिये जाने के उपरांत भी गैरसायल द्वारा जबाव पेश नहीं किया गया। न्यायहित में अंतिम अवसर दिये जाने के बाद भी जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अंत में अभिभाषक गैरसायल ने जबाव पेश करने से इंकार किया गया तथा नोटिस का जबाब प्रस्तुत नहीं किया।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मु0न0 111/2022, 11/2021, 20/2020, 97/2020 व 266/2020 में दर्ज एफ0आई0आर, चार्जशीट, प्रति फैसला तथा आपराधिक रिकार्ड की सूची प्रस्तुत की। गैरसायल ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। सायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्व 05 प्रकरण दर्ज है। उक्त सभी प्रकरणों में चालान पेश न्यायालय किए

जिला मजिस्ट्रेट

जा चुके है। गैरसायल अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। गैरसायल आदतन जुआ खेलना, खिलाने, सट्टेबाजी करने का आदी है जिससे समाज में कुरीति फैलती है, समाज पर इसका कुप्रभाव पडता है। आमजन इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते हैं, गैरसायल शाहिद का स्वछन्द रहना जनता हित में ठीक नही है। गैरसायल का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की परिधि में आता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल एक धार्मिक व सामाजिक व्यक्ति है। गैरसायल एक गरीब व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। गैरसायल का अपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों से किसी प्रकार से सम्बध सरोकार नहीं है। उक्त सभी मुकदमें 13 आर0पी0जी0ओ0 के है जो कि अभियान के तहत् गैरसायल के विरूद्ध दर्ज किये गये थे। गैरसायल का धौलपुर में किसी भी थाने में अपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा अधिनियम के अधीन कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :-

"(आ) "गुण्डा" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो-

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा

2. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा

3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

6. महिलाओं एवं लडकियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेडता हुआ पाया गया हो, अथवा

7. हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने बालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा

8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :— किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहॉ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी

कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में गैरसायल के विरूद्व निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:— मु0न0 111/2022 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 24.02.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 62 दिनांक 28.02.2022 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा जुर्माना 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 11/2021 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 8.01.2021 जिसमें चार्जशीट नम्बर 18 दिनांक 29.1.2021 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा जुर्माना 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 20/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 6.1.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 17 दिनांक 20.4.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा जुर्माना 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 97/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 14.02.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 29 दिनांक 20.4.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा जुर्माना 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 266/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 19.06.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 100 दिनांक 26.06.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर द्वारा जुर्माना 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, जो अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। गैरसायल अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरूद्व धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा क्योंकि धारा 2 (ख) की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि " **राजस्थान सार्वजनिक जूआ अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के तहत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो,**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गैरसालय राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता हैं, वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और गैरसायल को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। गैरसायल श्री छोटू पुत्र श्री इस्ताक खॉ जाति मुसलमान निवासी सागरपाडा थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला करौली में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में गैरसायल जिला करौली में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय–अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसेंसी हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। गैरसायल प्रथमतः पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक करौली के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर गैरसायल को पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेगें। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक करौली के नियंत्रण में गैर सायल श्री छोटू पुत्र श्री इस्ताक खॉ जाति मुसलमान निवासी सागरपाडा थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगें। 15 दिवस पूरे होने पर गैरसायल जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक करौली को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 9.3.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

(राज0)